न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, भूपालसागर जिला चित्तौडगढ
पीठासीन अधिकारी श्री पुनीत कुमार गेलड़ा (आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या : 4/2024
दायर दिनांक : 27/12/2024
निर्णय दिनांक : 29/01/2025

उनवान

1. राज राजेश्वर जैन पुत्र गणेशलाल जैन निवासी 58 डी ब्लॉक हिरणमगरी तह. गिर्वा

अपीलान्ट

बनाम

1. ग्राम पंचायत, गुन्दली तहसील भूपालसागर
2. तहसीलदार, भूपालसागर

रेस्पोडेन्ट

राजस्व अपील अंतर्गत धारा – 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956

उपस्थिति : 1. श्री पवन जायसवाल, अधिवक्ता अपीलान्ट

: : निर्णय : :

वकील अपीलान्ट ने अपील अन्तर्गत राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 प्रस्तुत की, जिसका विवरण इस प्रकार है :

यह कि अपीलान्ट ने ग्राम हिंगवानिया प.ह.गुन्दली के हल्के बैरूनी के हाल खाता सं. 78 के हाल आ.सं. 556 रकबा 0.05 है., आ.सं. 563 रकबा 0.79 है., आ.सं. 564 रकबा 0.54 है., आ.सं. 565 रकबा 0.44 है., आ.सं. 567 रकबा 0.55 है., आ.सं. 568 रकबा 0.02 है. किता 6 रकबा 2.39 है. तथा खाता सं. 20 के हाल आ.सं. 562 रकबा 0.06 है. कुल किता 1 रकबा 0.06 है. स्थित है। अपीलान्ट के पक्ष में नन्दकुंवर पुत्री जोरावर सिंह पत्नी करणसिंह राजपूत निवासी हिंगवानिया हा.मु. भटवाडा खुर्द जिला चित्तौड़गढ़ ने दिनांक 08.10.2024 को 9,40,000/ रूपये अक्षरे नौ लाख चालीस हजार रूपये लेकर तहसील कार्यालय भूपालसागर में विक्रय पत्र निष्पादित करवाया था। उसके बाद अपीलान्ट ने उक्त आराजियात का अपने नाम पर नामान्तरण खुलवाने के लिए नामान्तरण खुलवाने की ऑनलाईन प्रक्रिया होने के कारण अपीलान्ट ने नामान्तरण कर[illegible] जिसके बाद प.ह.गुन्दली ने नामान्तरण की प्रक्रिया के लिए दिनांक 01.11.2024 को ग्राम पंचायत [illegible] को फारवर्ड किया जिसे ग्राम पंचायत गुन्दली ने दिनांक 02.11.2024 को [illegible] किये बिना ही आगामी कोरम में पेश करने की रिपोर्ट करते हुए नामान्तरण संख्या 293 दिनांक [illegible].11.2024 को निरस्त कर

Signature Not Verified
Digitally signed by Punit Kumar Gelra
Date: 2025.03.10 14:38:52 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, भूपालसागर

दिया गया है जो कानूनन गलत है व विधि विरूद्ध है। अपीलान्ट को नामान्तरण की ऑनलाईन प्रकिया का मैसेज आने के बाद दिनांक 17.12.2024 को जमाबंदी की नकल लेने से जानकारी प्राप्त हुई। बिनाय प्रार्थना पत्र दिनांक 17.12.2024 से शुरू होकर निरन्तर जारी है। अतः निवेदन है कि अपीलान्ट की अपील स्वीकार कर अपीलान्ट के नाम नामान्तरण खोलने की डिक्री का आदेश फरमाया जावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्ट्स को सम्मन जारी किये गये। रेस्पोडेन्ट्स संख्या 1 व 2 बाद सूचना उपस्थित नहीं आने से दिनांक 23.01.2025 को जवाब बंद किया गया तथा वकील अपीलान्ट की बहस दिनांक 23.01.2025 को सुनी जाकर धारा 5 का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया गया। वकील अपीलान्ट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुऐ अपील स्वीकार कर अपीलान्ट के पक्ष में नामान्तरण खुलवान का निवेदन किया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया, पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों, दफा 5 के प्रार्थना पत्र का अवलोकन कर वकील अपीलान्ट की बहस पर मनन किया एवं तथ्यो पर गहनतापूर्वक विचार किया। वकील अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत दफा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। अपील अपीलान्ट स्वीकार कर प्रकरण तहसीलदार, भूपालसागर को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि विधिवत दोनों को पक्षों सुना जाकर नये सिरे से नियमानुसार इंतकाल खोला जाने की कार्यवाही करे।

निर्णय आज दिनांक 29.01.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

(पुनीत कुमार गेलड़ा)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी,
भूपालसागर

Signature Not Verified

Digitally signed by Punit Kumar Gelra
Date: 2025.03.10 11:38:52 IST
Reason: SelfAttested